



# प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

(पूर्ववर्ती: इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद)

**Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.**  
(Formerly: Allahabad State University, Allahabad)

पत्रांक: प्रो०रा०सि०वि०वि०/कु०स०का०/437/2019

दिनांक 8 अगस्त, 2019

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,  
समस्त अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,  
सम्बद्ध प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,  
प्रयागराज, उ०प्र०।

महोदय,

कृपया आपके महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में कार्यरत संविदा पर शिक्षकों के सम्बन्ध में यह संज्ञान में लाया गया है कि महाविद्यालय द्वारा उन्हें शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या-392(1)/सत्तर-2-2018 दिनांक 10.09.2018 की व्यवस्थानुसार उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-पी०आर०एस०यू०/सम्बद्धता/2159/2019 दिनांक 15 जुलाई, 2019 द्वारा सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे किन्तु अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

अतः आपको पुनः निदेशित किया जाता है कि महाविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप पर सूचना/आख्या साक्ष्यों सहित दिनांक 17.08.2019 तक प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय के डाक प्राप्ति कक्ष में उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

1. महाविद्यालय का नाम .....
2. महाविद्यालय की स्थिति .....
- (अनुदानित/स्ववित्तपोषित)
3. महाविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम की सूचना-

### तालिका-1

क्रमांक	स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत प्रवेश क्षमता	कुल प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या (सभी वर्षों में) अध्ययनरत विद्यार्थियों का योग	निर्धारित शुल्क (रु० में)	कुल शुल्काय (रु० में)	अन्य आय (यदि कोई हो)	योग (रु० में)	75 से 80 प्रतिशत शुल्काय का अंश (रु० में)

### तालिका-2

क्रमांक	स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम का नाम	अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या		प्रति शिक्षक को देय वेतन	सी०पी०एफ० कटौती की धनराशि (रु० में)		
		अनुमोदित	कार्यरत		शिक्षक से	महाविद्यालय का अंशदान	योग (रु० में)

(शोषनाथ पाण्डेय)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निजी सचिव कुलपति को, माननीया कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

(शोषनाथ पाण्डेय)  
कुलसचिव